



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052022-235502
CG-DL-E-02052022-235502

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1947]
No. 1947]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2022/वैशाख 12, 1944
NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2022/VAISAKHA 12, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2022

का.आ. 2047(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, उड़ीसा राज्य के "राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 326 पर 4 एच.एल पुलों यानी कि.मी. 377/420 (अनालजोड़ि ब्रिज), कि.मी. 423/820 (तमाशा ब्रिज), कि.मी. 433/750 (MV-19) और कि.मी. 484/500 (महाराजपल्ली ब्रिज)" पर पुनर्निर्माण का उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-326 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	
1	डेपुटी कलैक्टर, कलकटरेट, मालकनगिरि	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH326 के कि.मी. 377.42 से 484.5 तक	उड़ीसा	मालकानगिरि	मालकानगिरि	1	पालकांडा
						2	तांडपली
						3	तमाशा
						4	करेलमेटला
					माथिली	1	कोत्रीमझी गुदा
						2	सालपदर
कालीमेला	1	महाराजपली					

[फा. सं. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2022

S.O. 2047(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authority to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for "Construction of 4 nos H.L. Bridges at ch 377/420 (Analajodi Bridge), ch 423/820 (Tamsha Bridge), ch 433/750 (MV-19) and ch 484/500 (Maharajpally Bridge) on NH-326 (Malkangiri - Motu Road)" in the State of ODISHA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. 326 in the State of ODISHA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Deputy Collector, Collectorate, Malkangiri	377.42KM To 484.5KM	ODISHA	MALKANGIRI	Malkangiri	1	Palkanda
						2	Tandapali
						3	Tamasha
						4	Karelmelia

					Mathili	1 Kotrimajhi guda 2 Salapadar
					Kalimela	1 Maharajpali

[F. No. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

RAJESH GUPTA, Director